।। निदेशालय, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः DHG/TRG-2/(1-5)/2023-00811 **दिनांक :**

स्थाई आदेश संख्या 01/2023

मृतक स्वयंसेवकों के आश्रितो के नामांकन नीति(संशोधन–2023)

निदेशालय, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक गृरमु/प्रशि./टी–1(1–2)/2008/1713–54 दिनांक 28.01.2019 एवं स्थाई आदेश संख्या 01/2022(संशोधित) क्रमांक 30292–30341 दिनांक 28.10.2022 तथा गृह रक्षा सदस्यता में रहते हुए स्वयंसेवक/ स्वयंसेविका की मृत्यु होने पर उसके आश्रित (Next of Kin) को अनुकम्पात्मक गृह रक्षा सदस्यता (नामांकन) प्रदान करने के संबंध में जारी समस्त आदेशों/परिपत्रों/निर्देशों का अतिक्रमण करते हुये होम गार्डस एक्ट 1963 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफ.5(51)डीओपी/ए–।।/88 पार्ट दिनांक 28.10.2021 द्वारा राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 में संशोधित प्रावधानों को समाहित करते हुए निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते हैं:–

1. स्वयंसेवक/स्वयंसेविका की मृत्यु होने पर उसके आश्रित से अभिप्रेत है :–
   - (i) पति या पत्नी, या
   - (ii) मनोनीत द्वारा इंगित पुत्र/वैध दत्तक पुत्र, या
   - (iii) मनोनीत द्वारा इंगित अविवाहित/विधवा/विच्छिन्न विवाह पुत्री/वैद्य रूप से दत्तक ग्रहण की गयी पुत्री, या
   - (iv) विवाहित पुत्री यदि उपरोक्त बिन्दू (ii) और (iii) में उल्लिखित मृतक स्वयंसेवक का अन्य कोई आश्रित उपलब्ध न हो, या
   - (v) अविवाहित स्वयंसेवक की मृत्यु के मामले में माता, पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन,

   जो मृतक स्वयंसेवक पर उसकी मृत्यु के समय पूर्णतः आश्रित थे।

2. संबंधित अधीनस्थ गृह रक्षा कार्यालय द्वारा स्वयंसेवक/स्वयंसेविका की मृत्यु उपरांत अनुकम्पात्मक गृह रक्षा सदस्यता (नामांकन) प्रदान किये जाने के संबंध में विभागीय नियमों से आश्रित को अविलम्ब अवगत कराया जावेगा।

3. मृतक स्वयंसेवक/स्वयंसेविका की मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की अवधि में सम्बन्धित गण समादेष्टा/समादेष्टा कार्यालय द्वारा मृतक स्वयंसेवक के आश्रित से निर्धारित प्रफोर्मा **(संलग्न परिशिष्ट–'अ' के अनुसार)** में आवेदन प्राप्त कर अपनी अभिषंशा सहित निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगें। आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र में उल्लेखित परिवार के समस्त सदस्यों की (सभी स्रोतों से) मासिक आय एवं उनके भरण–पोषण के समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जावेगा तथा अन्य आश्रितों द्वारा आवेदक के नामांकन हेतु अपनी सहमति के संबंध में शपथ–पत्र प्रस्तुत करेंगें।

4. जहां पति/पत्नि स्वयं के लिए सदस्यता नहीं चाहता है/चाहती है और शेष आश्रितों में ज्येष्ठतम /इंगित संतान ने भी 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो (इस आशय की सूचना स्वयंसेवक की मृत्यु से तीन माह के भीतर लिखित में प्राप्त की जावे) तो वहां परिसीमा की उपर्युक्त कालावधि ऐसे ज्येष्ठतम /इंगित आश्रित द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से होगी। ऐसे प्रकरणों में समादेष्टा द्वारा अपने स्तर पर लिखित में मृतक आश्रित को अवगत कराया जावेगा की आश्रित के वयस्क (18 वर्ष आयु पूर्ण) होने पर आवेदन निर्धारित समय–सीमा (18 वर्ष आयु पूर्ण होने की दिनांक से 90 दिवस के भीतर) किया जा सकता है।

5. **य**दि मृतक स्वयं सेवक आश्रित अनुकम्पात्मक गृह रक्षा स्वयंसेवक/स्वयंसेविका के रूप में गृह रक्षा सदस्यता (नामांकन) प्राप्त करना नहीं चाहता/चाहती है, तो सम्बन्धित गण समादेष्टा/समादेष्टा, आश्रित से इस आशय की लिखित सहमति प्राप्त कर निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर को भिजवायेंगे।

Signature Not Verified
RajKaj Ref 4841067
Digitally signed by Utkal Ranjan Sahoo
Designation : Director General
Date: 2023.10.10 15:02:03 IST
Reason: Approved

6. अनुकम्पात्मक गृह रक्षा सदस्यता (नामांकन) हेतु आवेदन में विलम्ब होने सम्बन्धी अपवादिक मामले में न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण रीति से निपटाने के लिए महानिदेशक एवं महासमादेष्टा मामले विशेष में शिथिलता प्रदान कर सकेंगें।

7. गृह रक्षा सदस्यता हेतु आवेदक की पात्रता अनुसार महानिदेशक एवं महासमादेष्टा द्वारा अंतिम निर्णय लिया जावेगा एवं स्वीकृति जारी होने पर गण समादेष्टा/समादेष्टा आश्रित का नामांकन करेंगें। आश्रित को गृह रक्षा सदस्यता (नामांकन) हेतु स्वीकृति मिलने पर संबंधित गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र/गण कार्यालय पर चलाये जाने वाले बुनियादी प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावे। बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने के उपरांत ही आश्रित को डयूटी पर नियोजित किया जावेगा।

8. नियमानुसार आश्रित (आवेदक) की आयु राजस्थान गृह रक्षा नियम 1962 की धारा 3 में विहित आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष के भीतर होना चाहिए। परंतुः–

(i) राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधान अनुसार किसी विधवा आवेदक के लिए कोई ऊपरी (अधिकतम) आयु सीमा नहीं होगी। अतः मृतक आश्रिता (विधवा) के प्रकरण में ऊपरी (अधिकतम) आयु सीमा नहीं होगी।

(ii) शिथिलता प्रकरणों में महानिदेशक एवं महासमादेष्टा द्वारा ऊपरी (अधिकतम) आयु सीमा उस कालावधि में 5 वर्ष तक शिथिलनीय या 40 वर्ष की आयु तक की जो भी कम हो, दी जा सकेगी।

(iii) आयु की संगणना करने के लिए निर्णायक तारीख, नामांकन हेतु आवेदन–पत्र संबंधित गृह रक्षा कार्यालय में प्राप्त करने की तारीख होगी। एक उपयुक्त पद की व्यवस्था करने में बीता समय आश्रित को निरर्हित नहीं करेगा यदि वह उस कालावधि के दौरान अधिकायु हो जाता है।

(iv) शैक्षणिक योग्यता– राजस्थान गृह रक्षा नियम 1962 **के** नियम 03 के अनुसार आठवीं उतीर्ण।

(v) नामांकन प्रक्रिया– राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक प.4(10)गृह–7/2004 दिनांक 28.08.2019 के अनुसरण मे निदेशालय के निर्धारित बोर्ड (चयन समिति) द्वारा उस वित्तीय वर्ष में विभिन्न इकाईयों में उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध, प्राप्त आवेदनों–पत्रों का परीक्षण कर समय–समय पर अनुकम्पात्मक नामांकन प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।

(vi) आवेदक को निम्नानुसार शारीरिक मापदण्ड परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा –

मापदण्ड	**सामान्य क्षेत्र**		**बांरा जिले के सहरिया हेतु**	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152 से.मी.	160 से.मी.	145 सेमी
सीना (केवल पुरूषों के लिए)	बिना फुलाए–81 से.मी. फुलाने पर –86 से.मी. (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नहीं	बिना फुलाए–74 सेमी फुलाने पर –79 सेमी (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नहीं
वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 किग्रा.	लागू नहीं	43 किग्रा.

अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों को न्यूनतम ऊँचाई एवं सीने की न्यूनतम माप में 5 से.मी. की छूट दी जा सकेगी, किन्तु 5 से.मी. सीना फुलाये जाने की अनिवार्यता रहेगी। योग्य पाये गये अभ्यार्थियों को मेडीकल बोर्ड से चिकित्सकीय स्वास्थ्य परीक्षण एवं पुलिस सत्यापन में उपयुक्त पाये जाने पर ही नामांकन हेतु पात्र माना जावेगा।

9. मृतक गृह रक्षा स्वयंसेवक की आश्रित विधवा यदि गृह रक्षा सदस्या के रूप में नामांकन के पश्चात् राज्य के किसी अन्य जिले में स्थानान्तरण चाहती है, तो ऐसे प्रकरणों में गृह रक्षा स्वयं सेवक स्थानान्तरण नीति (स्थाई आदेश संख्या 17/2020 दिनांक 08.09.2020) के बिन्दु संख्या 05 के तहत **"स्वयं सेवक के प्रथम नामांकन के 05 वर्ष पूर्ण होने तक स्थानान्तरण नहीं होगा"** का प्रावधान है, यह नियम मृतक स्वयंसेवक की आश्रित विधवा, गृह रक्षा सदस्या पर लागू नहीं होगा।

Signature Not Verified
RajKaj Ref. 4841067
Digitally Signed by Utkal Ranjan Sahoo
Designation : Director General
Date: 2023.10.10 15:02:03 IST
Reason: Approved

10. आवेदक (आश्रित) को गण समादेष्टा/समादेष्टा द्वारा अनिवार्य रूप से अवगत कराया जावेगा कि निदेशालय द्वारा गठित चयन समिति (चयन बोर्ड) के समक्ष नामांकन प्रक्रिया हेतु उपस्थित होने के पश्चात् आवेदक के शारीरिक मापदण्ड पूर्ण नहीं करने अथवा अन्य कारणों से चयन समिति (चयन बोर्ड) द्वारा असफल घोषित किये जाने के उपरांत उक्त मृतक आश्रित अथवा अन्य आश्रित के आगामी नामांकन प्रक्रिया में भाग लेने अथवा प्रावधानों में शिथिलता हेतु प्रस्तुत किसी भी प्रार्थना–पत्र/आवेदन–पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अतः आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व विभागीय नियमों/निर्देशों के अनुसार अपनी योग्यता/पात्रता की जांच सुनिश्चित कर लेवें।

11. मृतक स्वयंसेवक आश्रित हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार हैः–
    (i) चैक लिस्ट (जिसकी पूर्ति करते हुए वांछित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है।)
    (ii) आवेदन–पत्र (परिशिष्ट– अ) का प्रारूप।
    (iii) परिशिष्ट– ब, स, द, एवं य का प्रारूप।

(यू.आर.साहू, IPS)
महानिदेशक एवं महासमादेष्टा,
गृह रक्षा, राजस्थान
जयपुर।

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–7) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर ।
4. उप महासमादेष्टा प्रथम/द्वितीय, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर ।
5. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर ।
7. समस्त सीनियर स्टाफ ऑफिसर, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर ।
8. समस्त जूनियर स्टाफ ऑफिसर, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर ।
9. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
10. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
11. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सहायक, अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. प्रशिक्षण प्रभारी, निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
14. श्री मदन मोहन जोशी, प्रभारी कम्प्यूटर शाखा(वरिष्ठ सहायक) को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

Signature Not Verified

RajKaj Ref
4841067

Digitally signed by Utkal Ranjan Sahoo
Designation : Director General
Date: 2023.10.10 15:02:03 IST
Reason: Approved

मृतक गृह रक्षा स्वयंसेवक के आश्रित को अनुकम्पात्मक गृह रक्षा सदस्यता (नामांकन) प्रदान किये जाने हेतु आवेदन–पत्र

1.	मृतक स्वयंसेवक का नाम एवं सदस्य संख्या	
2.	निधन की दिनांक एवं स्थान (मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	
3.	स्वयंसेवक (मृतक) की गृह रक्षा सदस्यता ग्रहण करने की दिनांक	
4.	क्या स्वयंसेवक की मृत्यु सदस्यता में रहते हुए हुई है ? (हाँ/नहीं में उत्तर देवे तथा नवीनकरण संबधी आदेश/दिनांक अंकित करें)	
5.	मृतक स्वयंसेवक के परिवार के सदस्यों का विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित करें:– (केवल परिवार के सदस्यों के ही नाम लिखें जावें)	

क्र. सं.	नाम	मृतक से संबंध	जन्म दिनांक	आयु	शैक्षणिक योग्यता	विवाहित/अविवाहित	मासिक आय (रू.)

(उपरोक्त तालिका में वर्णित समस्त कॉलम की पूर्ति आवश्यक रूप से की जावे)

अनुकम्पात्मक गृह रक्षा सदस्यता (नामांकन) हेतु आवेदन करने वाले आश्रित (आवेदक) का विवरण

1.	नाम		आवेदक का नवीनतम फोटो चस्पा करें।
2.	जन्म दिनांक		
3.	आयु		
4.	वर्ग (Gen./OBC/SC/ST/MBC/ /EWS.) जो भी लागू हो अंकित करें तथा प्रमाण–पत्र सलंग्न करे।		
5.	शैक्षणिक योग्यता		
6.	वैवाहिक स्थिति		
7.	मृतक स्वयंसेवक से संबंध		
8.	आवेदक का स्थाई पता		
9.	आवेदक का वर्तमान पता		

(उपरोक्त तालिका में वर्णित समस्त कॉलम की पूर्ति आवश्यक रूप से की जावे)

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम)

Signature Not Verified
RajKaj Ref 4841067
Digitally signed by Utkal Ranjan Sahoo
Designation : Director General
Date: 2023.10.10 15:02:03 IST
Reason: Approved

यदि आवेदक विधवा स्वयं नहीं हैं तो विधवा/ अन्य आश्रितों की सहमतिः–

मैंने आवेदन में उल्लिखित सूचना पढ़ ली हैं। भली प्रकार सुन ली हैं। आवेदक को गृह रक्षा सदस्यता दिये जाने हेतु मेरी/अन्य आश्रितों की सहमति हैं। जिसके समर्थन में मेरा/अन्य आश्रितों का शपथ–पत्र संलग्न है।

साक्ष्य.....

विधवा के हस्ताक्षर

<u>कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है किः–

1. आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक ..... को प्राप्त हुआ है, जो कि डायरी संख्या..... दिनांक..... पर दर्ज हैं।
2. आवेदन पत्र में अंकित सूचनांए मृतक स्वयंसेवक की निजी पत्रावली के अनुसार सही हैं।

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष
(मय कार्यालय सील/मोहर)

<u>आवेदक का प्रमाण–पत्र</u>

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन–पत्र में वर्णित सूचना/साक्ष्य मेरी जानकारी में सही है। यदि भविष्य में कोई भी तथ्य असत्य पाया जावें तो मेरी गृह रक्षा सदस्यता समाप्त की जा सकेगी।

साक्ष्य.....

आवेदक के हस्ताक्षर

Signature Not Verified

RajKaj Ref
4841067

Digitally signed by Utkal Ranjan Sahoo
Designation : Director General
Date: 2023.10.10 15:02:03 IST
Reason: Approved

मृतक स्वयंसेवक आश्रित (आवेदक) को अनुकम्पात्मक नामांकन गृह रक्षा सदस्यता प्रदान किये जाने हेतु आवेदन–पत्र एवं दस्तावेज संबंधी चैक लिस्ट

क.सं.	दस्तावेज	संलग्न	पृष्ठ संख्या
1.	आवेदन–पत्र (मूल) **(परिशिष्ठ अ अनुसार)**	हाँ/नहीं	
2.	मृतक स्वंयसेवक का मृत्यु प्रमाण पत्र	हाँ/नहीं	.....
3.	मृतक स्वयंसेवक की नवीनकरण के आदेश की प्रति	हाँ/नहीं	
4.	आवेदक (मृतक आश्रित) की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दस्तावेज (आवेदन–पत्र मे वर्णितानुसार)	हाँ/नहीं	
5.	आवेदनकर्ता (मृतक आश्रित) की आयु के संबंध में दस्तावेज (जन्म प्रमाण/शैक्षणिक दस्तावेज जिसमें जन्म दिनांक स्पष्ट अंकित हो)	हाँ/नहीं	
6.	आवेदक (मृतक आश्रित) का जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो संलग्न करें।)	हाँ/नहीं	
7.	आवेदक (मृतक आश्रित) का मूल निवास प्रमाण–पत्र	हाँ/नहीं	
8.	आवेदक का मृतक स्वयंसेवक से संबंध होने का दस्तावेज (मनोनयन पत्र/राशन कार्ड/जनआधार कार्ड/आधार कार्ड)	हाँ/नहीं	
9.	यदि आवेदक विधवा (मृतक की पत्नी) स्वयं नहीं है तो विधवा का आवेदक के नामांकन हेतु उसके पक्ष में सहमति हेतु शपथ–पत्र । **(परिशिष्ठ ब अनुसार संलग्न करें।)**	हाँ/नहीं	
10.	यदि आवेदक विधवा (मृतक की पत्नी) स्वयं नहीं है मृतक पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का आवेदक के नामांकन हेतु उसके पक्ष में सहमति हेतु शपथ–पत्र। **(परिशिष्ठ स अनुसार संलग्न करें।)**	हाँ/नहीं	
11.	आवेदक का मृतक स्वयंसेवक पर आश्रित परिवार के समस्त सदस्यों की मासिक आय का विवरण देते हुए उनके भरण–पोषण के समर्थन में शपथ–पत्र। **(परिशिष्ठ द अनुसार संलग्न करें।)**	हाँ/नहीं	
12.	आवेदक को अनुकम्पात्मक नामांकन के संबंध में विभागीय नियमों/आदेशों से अवगत कराते हुए आवेदक का प्राथमिक तौर पर शारीरिक मापदण्ड किये जाने के उपरांत समादेष्टा की अनुशंसा **(परिशिष्ठ य अनुसार संलग्न करें।)**	हाँ/नहीं	
13.	यदि प्रकरण में नियमानुसार किसी प्रकार की शिथिलता प्रदान की जानी है तो यथोचित कारण सहित विवरण प्रस्तुत करें।	हाँ/नहीं	

नोटः– यदि गृह रक्षा सदस्यता हेतु विधवा (मृतक की पत्नी) द्वारा आवेदन किया जा रहा है तो उक्त तालिका के कम संख्या 9 एवं 10 में वर्णित शपथ–पत्र की आवश्यकता नहीं है परंतु कम संख्या 11 में अंकित शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष
(मय कार्यालय नाम/मोहर)

Signature Not Verified
RajKaj Ref 4841067
Digitally signed by Utkal Ranjan Sahoo
Designation : Director General
Date: 2023.10.10 15:02:03 IST
Reason: Approved

यदि आवेदक विधवा (मृतक की पत्नी) स्वयं नहीं है तो विधवा का आवेदक के नामांकन हेतु उसके पक्ष में सहमति हेतु शपथ–पत्र (प्रारूप)

मैं..... पत्नी स्व. श्री..... उम्र..... जाति..... निवासी.....शपथ–पूर्वक बयान करती हूं किः–

1. मेरे पति स्व. श्री ..... का निधन दिनांक..... को हो गया है, जो गृह रक्षा कार्यालय ..... में स्वयंसेवक के पद पर पदस्थापित थे जिनकी सदस्य संख्या..... थी।
2. मेरे द्वारा गृह रक्षा विभाग में मृतक स्वयंसेवक आश्रित को अनुकम्पात्मक नामांकन हेतु विभागीय नियमों को भली–भांति अवलोकन कर लिया गया है।
3. यह कि मेरे द्वारा मृतक आश्रित श्री ..... सबंध (मृतक से संबंध) ..... को मृतक के स्थान पर अनुकम्पात्मक गृह रक्षा सदस्यता (नांमाकन) प्रदान किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।
4. यह कि श्री..... को अनुकम्पात्मक गृह रक्षा सदस्यता (नांमाकन) दिये जाने पर मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है

शपथ ग्रहिता के हस्ताक्षर मय दिनांक

(उक्त शपथ–पत्र न्यूनतम 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अंकित कर प्रस्तुत किया जावे।)

Signature Not Verified

RajKaj Ref 4841067

Digitally signed by Utkal Ranjan Sahoo
Designation : Director General
Date: 2023.10.10 15:02:03 IST
Reason: Approved

<u>परिशिष्ठ–स</u>

यदि आवेदक विधवा (मृतक की पत्नी) स्वयं नहीं है तो मृतक पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का आवेदक के नामांकन हेतु उसके पक्ष में सहमति हेतु शपथ–पत्र (प्रारूप)

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री..... उम्र.....जाति..... निवासी.....शपथ–पूर्वक बयान करता हूं/करती हूं किः–

1. मेरे पिता श्री ..... का निधन दिनांक..... को हो गया है। जो गृह रक्षा कार्यालय ..... में स्वयंसेवक के पद पर पदस्थापित थे जिनकी सदस्य संख्या ..... थी।
2. यह कि मेरे पिता के स्थान पर मेरे भाई/बहिन श्री..... को गृह रक्षा विभाग में अनुकम्पात्मक गृह रक्षा सदस्यता (नामांकन) प्रदान किये जाने हेतु मेरी पूर्ण सहमति है। इस संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

शपथ ग्रहिता के हस्ताक्षर मय दिनांक

(उक्त शपथ–पत्र न्यूनतम 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अंकित कर प्रस्तुत किया जावे।)

Signature Not Verified

RajKaj Ref 4841067

Digitally signed by Utkal Ranjan Sahoo
Designation : Director General
Date: 2023.10.10 15:02:03 IST
Reason: Approved

<u>परिशिष्ठ–द</u>

आवेदक का मृतक स्वयंसेवक पर आश्रित परिवार के समस्त सदस्यों की मासिक आय का विवरण देते हुए उसके भरण–पोषण के समर्थन में शपथ–पत्र (प्रारूप)

मैं................................... पुत्र/पुत्री स्व. श्री................................ उम्र............ जाति........... निवासी..शपथ–पूर्वक बयान करता हूं/करती हूं किः–

1. मेरे पिता श्री .... का निधन दिनांक.................... को हो गया है। जो गृह रक्षा कार्यालय .... में स्वयंसेवक के पद पर पदस्थापित थे जिनकी सदस्य संख्या............. थी।
2. मेरे द्वारा गृह रक्षा विभाग में मृतक स्वयंसेवक आश्रित को अनुकम्पात्मक नामांकन हेतु विभागीय नियमों को भली–भांति अवलोकन कर लिया गया है।
3. मेरे द्वारा अपने पिता के स्थान पर अनुकम्पात्मक गृह रक्षा सदस्यता (नामांकन) प्रदान किये जाने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. मेरे पिता स्व. श्री .... पर परिवार के अन्य समस्त आश्रित एवं उनकी मासिक आय का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	आश्रित (परिवार के सदस्य) का नाम	आयु	मासिक आय

उपरोक्त तालिका में मृतक पर आश्रित परिवार के समस्त सदस्यों का विवरण अंकित किया गया है इनके अतिरिक्त मृतक पर अन्य कोई आश्रित नहीं है। मैं वर्णित उक्त सदस्यों का भरण–पोषण किये जाने की सहमति प्रदान करता हूं। उक्त सदस्यों के भरण–पोषण हेतु मैं बाध्य रहूंगा।

शपथ ग्रहिता के हस्ताक्षर मय

Signature Not Verified

Digitally signed by Utkal Ranjan Sahoo
Designation : Director General
Date: 2023.10.10 15:02:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 4841067

(उक्त शपथ–पत्र न्यूनतम 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अंकित कर प्रस्तुत किया जा

<u>परिशिष्ठ–य</u>

<u>समादेष्टा की अनुशंसा</u>

श्री .... पत्नी/पुत्र/पुत्री .... निवासी... द्वारा मृतक स्वयंसेवक श्री ....सदस्य संख्या.......................की मृत्यु उपरांत अनुकम्पात्मक गृह रक्षा सदस्यता(नामांकन) हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने पर मृतक आश्रित (आवेदक) को अनुकम्पात्मक नामांकन से संबंधित विभागीय नियमों/आदेशों से अवगत कराया गया तथा मृतक आश्रित (आवेदक) की सहमति पर नियमानुसार इनका प्राथमिक तौर पर शारीरिक माप–दण्ड परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

आवेदक का शारीरिक माप–दण्ड का विवरण उपलब्ध करावें।

आवेदक श्री.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों तथा आवेदक की पात्रता एवं योग्यता की विभागीय नियमानुसार जांच गई, जांच उपरांत आवेदक के निर्धारित योग्यता/पात्रता रखने के कारण मैं आवेदक श्री.................................. को अनुकम्पात्मक गृह रक्षा सदस्यता (नामांकन) प्रदान किये जाने की अनुशंसा करता हूँ।

समादेष्टा के हस्ताक्षर मय सील मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Utkal Ranjan Sahoo
Designation : Director General
Date: 2023.10.10 15:02:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 4841067